राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

संदीप रावत / रूपसिंह

तारीख हुक्म	45/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1व 2 द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 3 लगायत 9 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा, विभाजन व् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमे एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 व 2 की एकपक्षीय बहस समायत कर दिनांक 28/11/2019 अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्द अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।	
	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ की अवलोकन से यह स्पष्ट है की अपीलार्थी संदीप रावत द्वारा अपिलाधीन अन्तरिम आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही नही की जाकर शीधे ही इस अपील के माध्यम से अपिलाधीन अन्तरिम आदेश चुनोती दी गयी। जबकि अपील के माध्यम से उठाये गये तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर उनके पास मौजूद है। एवं चूँकि अपील के इस स्तर पर दोनो पक्ष हाजिर आ गये है। अत: आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे दोनो पक्षों की समुचित सुनवाई कर प्रशनगत आराजीयात के सन्दर्भ में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर (पूर्व) जयपुर में विचाराधीन प्रकरण का संज्ञान लेकर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। उभयपक्ष इस आदेश की प्रति सहित दिनांक 01/10/2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	आदेश आज दिनांक 18/09/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया	
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	